न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–334/17

1. नारायणी पत्नी गोपीराम,
2. पुष्पादेवी पत्नी सुरेशचन्द,
3. आशीष पुत्र सुरेशचन्द, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीगण वार्ड नम्बर–17, मौहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

---अपीलान्ट्स

बनाम

01. शान्ती देवी बेवा सुन्दरलाल,
02. दीपक कुमार पुत्र सुन्दरलाल,
03. ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल,
04. पुष्पा पुत्री सुन्दरलाल,
05. उषा पुत्री सुन्दरलाल,
06. अमरनाथ पुत्र भोरेलाल,
07. सतीश पुत्र भोरेलाल,
08. कपूरचन्द, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान मोहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर, राजस्थान।
09. विक्रम पुत्र रामकरण, जाति गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
10. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कोटपुतली, जिला जयपुर।
11. मनीष पुत्र सुरेशचन्द, जाति ब्राहाम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 17, मौहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
12. बीना पुत्री सुरेशचन्द,
13. दिनेश पुत्र गोपीराम,
14. नरेश पुत्र गोपीराम जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान वार्ड नम्बर 17 मौहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
15. सब रजिस्ट्रार, कोटपुतली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपुतली के आदेश दिनांक 21.08.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का द्वारा जब मौका रिपोर्ट तलब की गई तो उस पर स्पष्ट रूप से दिनांक 11.08.2017 को यह नोट अंकित किया था कि अपर जिला सेशन व सत्र न्यायाधीश कोटपुतली के न्यायालय द्वारा यथास्थिति आगामी आदेश तक प्रभावी है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार

P.T.O.

संभागीय आयुक्त जयपुर

को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 361 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान नही करने चाहिये थे, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील तहसीलदार कोटपुतली पूर्णतया क्षेत्राधिकार विहिन शून्य एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2017 को तहसीलदार कोटपुतली के आदेश दिनांक 31.07.2017 की पालना में तैयार की गई थी, उसमें भी अपीलान्ट्स को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया था इस कारण भी ऐसी एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार कोटपुतली ने जो आज्ञा जैर अपील पारित की है, वह सरासर कानूनन के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि स्वयं तहसीलदार कोटपुतली ने जो विधिक राय मांगी थी उस राय दिनांक 17.08.2017 का भी तहसीलदार ने गलत अर्थ लगाया है क्योंकि जब पक्षकारान ही टी.आई. से पाबन्द थे तो वे किस कानून के अन्तर्गत स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा सकते है, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार कोटपुतली की स्वयं ने दिनांक 26.07.2017 को ए.डी.जे. कोटपुतली के स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये थे तो उन्हे किस कानून के अन्तर्गत दिनांक 21.08.2017 को रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात किये जाने के आदेश प्रदान करने का अधिकार प्राप्त था, इस कानूनी परिस्थिति के विपरित जाकर आज्ञा जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार के समक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटपुतली के समक्ष लम्बित वाद के साथ संलग्न टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 61/15 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.09.15 बाबत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत कर दी थी तथा यह भी जाहिर कर दिया था कि आर्डरशीट दिनांक 12.07.2017 से उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी दिनांक 14.09.2017 नियत है तथा स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है अतः नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की जावे, किन्तु फिर भी नायब तहसीलदार कोटपुतली ने अपनी आज्ञा दिनांक 21.08.2017 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 361 तस्दीक कर दिया, जो पूर्णतया शून्य, अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार ने आज्ञा दिनांक 21.08.17 जारी करते समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 121(4) व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 130 से 133 की भी कतई कोई पालना नही की, इस कारण भी आज्ञा नायब तहसीलदार दिनांक 21.08.2017 पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि नायब तहसीलदार ने आज्ञा दिनांक 21.08.2017 को जारी करते समय अपीलान्ट व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का कई कोई मौका एवं नोटिस आदि भी नही दिया, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार कोटपुतली ने आज्ञा दिनांक 21.08.2017 के द्वारा किसी भी कानूनी प्रक्रिया का कतई कोई पालना नही किया गया, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि नायब तहसीलदार कोटपुतली ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आज्ञा दिनांक 21.08.2017 पारित करते समय आवश्यक तत्व कब्जे की कतई कोई जांच नही की एवं ना ही प्रक्रिया की ही कोई पालना की, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुने बिना ही एकपक्षीय रूप से आज्ञा जैर अपील दिनांक 21.08.2017 पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा तहसीलदार कोटपुतली दिनांक 21.08.2017 क्रमांक/भू.अ./2017/3504 निरस्त फरमायी जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली द्वारा वाद संख्या 81/1992 उनवानी सुन्दरलाल व अन्य बनाम सोनी व अन्य मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2017 की अनुपालना में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 21.08.2017 तहसीलदार कोटपुतली द्वारा विधिवत पारित किया गया है, सभी पक्षकारान को वाद संख्या 81/1992 में सुनकर निर्णय एवं डिक्री विधिवत उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली द्वारा पारित किया है इसलिये अब डिक्री की पालना की गई है तथा कानूनन राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त रखने का दायित्व तहसीलदार को होने से नामान्तरकरण की कार्यवाही को अन्जाम दिये जाने का आदेश दिनांक 21.08.2017 को पारित किया गया है। उन्होने कथन किया है कि जब तक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 21.07.2017 को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त/खारिज नही कर दी जाती है तब तक अपीलान्ट को हस्तगत अपील पेश करने का भी अधिकार नही है। उन्होने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 22.08.2017 को स्वीकार किया जाकर अमल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में अपील पेश करने से पूर्व हो चुका है तथा प्रश्नाधीन आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को चलाये रखे जाने का कोई औचित्य नही है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि तहसीलदार कोटपुतली ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के समक्ष लम्बित नियमित घोषणात्मक वाद संख्या 81/1992 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2017 की पालना में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष चुनौती देने का विधिक अधिकार अपीलार्थीगण को प्राप्त नही है तथा तहसीलदार कोटपुतली के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरूद्ध अपीलार्थीगण व्यथित, पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार नही है जिस कारण उन्हे हस्तगत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने में किसी भी रूप में लोकस स्टेण्डाई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही है तथा तहसीलदार कोटपुतली के आदेश से अपीलार्थीगण के किसी भी रूप में कोई अधिकार प्रभावित नही होते है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किया जा चुका है एवं भूमि वादग्रस्त में उनके किसी प्रकार के कोई हित, अधिकार शेष नही है एवं उन्होने किसी भी प्रकार का अपना कोई हक अधिकार हेतु किसी प्रकार का उज्र व क्लेम तहसीलदार के समक्ष पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीगण निरस्तनीय होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटपुतली के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 61/15 उनवानी विक्रम बनाम नारायणी मे रेस्पोडेन्ट पक्षकार ही नही है इसलिये उक्त न्यायालय के किसी भी आदेश से रेस्पोडेन्ट पाबन्द नही है तथा न्यायालय ने ना ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली को को उनके समक्ष लम्बित वाद संख्या 81/1992 के निर्णय हेतु पाबन्द किया गया है और ना ही सिविल न्यायालय ने तहसीलदार कोटपुतली को पाबन्द किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपुतली द्वारा किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से सम्बन्धित आज्ञा की अवहेलना नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के निर्णय दिनांक 21.07.2017 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपुतली द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2017 पारित किया गया है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपुतली के समक्ष विवादित नही रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपुतली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2017 की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण अपीलान्ट की अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के समक्ष विचारणीय नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।